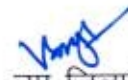


उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के चकराता वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Kalsi Yamuna Bridge to Kalsi 28 (Total Length-13.5 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.405 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 11-9 /98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवंटित 0.405 है० वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

/प्रयोक्ता




उप जिलाधिकारी